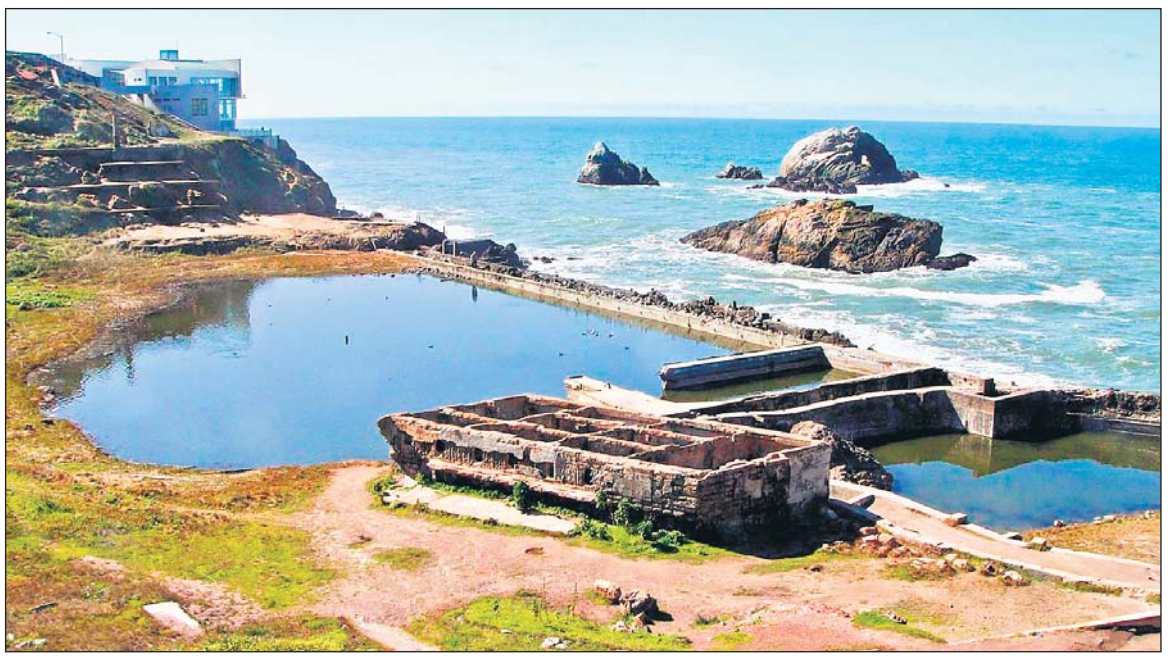

सैनफ्रांसिस्को में ओशन बीच के ठीक उत्तर में गोल्डन गेट नैशनल रीक्रिएशन एरिया है, जहां कभी विश्व का सबसे बड़ा इन्डोर स्विमिंग पूल "सूत्रो बाथ्स" हुआ करता था। इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जाने माने उद्योगपति और सैनफ्रांसिस्को के मेयर एडॉल्फ सूत्रो ने अपने क्लिफ हाउस के साथ ये स्नानागार बनवाए थे। उनका घर ओशन बीच की एक खड़ी चट्टान के किनारे पर टिका हुआ था। क्लिफ हाउस के नीचे एक छोटे से इनलैट (समुद्र या झील से जमीन पर आने वाली छोटी जलधारा) में यह स्नानागार बनाया गया था। कांच की एक बड़ी इमारत में ताजे पानी का एक पूल था तथा 6 पूल खारे पानी के थे, सबका अलग-अलग तापमान था। सूत्रो बाथ्स 150 मीटर लम्बे और 77 मीटर चौड़े थे और इसमें 18 से 20 लाख गैलन पानी आ सकता था। इनमें पानी भरने का सिस्टम बहुत अद्भुत था। ज्वार के समय समीपवर्ती समुद्र से सीधे पानी आता था और एक घंटे में बाथ में भरा 20 लाख गैलन पानी रीसाइकल हो जाता था। लो टाइड (भाटा) के समय एक शक्तिशाली टरबाइन वॉटर पम्प 5 घंटे में टैंकों को भर देता था। यहां 500 से ज्यादा प्राइवेट ड्रैसिंग रुम थे तथा 20,000 लोगों के लिए स्नान की सुविधा थी। पूल्स के अलावा एक म्यूज़ियम भी था, जिसमें वो वस्तुएं प्रदर्शित थीं जो सूत्रो ने मिस्र की यात्रा के दौरान एकत्रित की थीं। इसके अलावा स्टफ्ड पोलर बेअर और वनमानुष, अलास्का के टोटम पोल और मैक्सिको, चीन, एशिया व मध्य-पूर्व से एकत्रित पेंटिंग्स, टैपस्ट्रीज़ और कलाकृतियां भी थीं। सूत्रो बाथ बेहद लोकप्रिय थे पर ये फायदे का सौदा साबित नहीं हुए और इनका रखरखाव महंगा पड़ने लगा। धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता कम हो गई। फायदेमंद बनाने के लिए इसे आइस स्केटिंग रिंक में बदल दिया गया, पर यह अपनी पुरानी लोकप्रियता कभी नहीं पा सका। बाद में एक प्रॉपर्टी डवलपर ने यह इमारत खरीद ली, उसने टैंक तोड़ने शुरु किए ताकि वहाँ ऊंची इमारत बना सके। सन् 1966 में रहस्यमय तरीके से आग लगने के कारण बचाखुचा ढांचा भी नष्ट हो गया। लेकिन यहां कभी भी ऊंची इमारत नहीं बन पाई।

'पेपर लीक की घटनाओं के पीछे बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण'

मुख्यमंत्री का तर्क है-बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, पेपर लीक के गैंग बनेंगे

- "आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्राइम करता है, नशा करता है, क्या-क्या नहीं करता?"
- घोघरा मामले में कहा-युवा विधायक भावुक हैं, मना लेंगे।

जयपुर, 19 मई (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी को माना है उनका कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं उसका कारण है कि बेरोजगारी फैल रही है और देश में बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है। रीट के बाद कॉंस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने संबंधी सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा की ओर से दिए गए इस्तीफे पर कहा कि वैभव का आदमी है हम उन्हें मना लेंगे। इसी के साथ मर्डर केस में गिरफ्तार उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के भाई के मामले को लेकर कहा कि जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी इसके लिए हम ने पुलिस को कह रखा है कि किसी की सिफारिश नहीं माननी है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा "जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं काफी हद तक उसके पीछे भी कारण होता है कि आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्राइम करता है, नशा करता है, क्या क्या नहीं करता ? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा और पेपर लीक जैसी घटनाएं गैंग बनाकर होंगी जो कि हो रही हैं। हर राज्य में होने लगी हैं। यूपी में बहुत बड़ी घटना हुई थी। राजस्थान में कानून पास किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले। इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली हैं, उसका फायदा तो मिले।"

गणेश घोघरा के इस्तीफे पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में गणेश घोघरा ने कहा था कि "हमारे मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता हैं। आप समझ जाओ, मुख्यमंत्री गांधीवादी है, तो एसडीओ को बंद करने वाला काम तो गांधीवादी नहीं है। गणेश घोघरा हमारा नौजवान साथी है, भावुक आदमी है। इस्तीफे की घोषणा की होगी हम समझाइश करेंगे, मान जाएगा। वे जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनकी तारीफ करनी चाहिए।" गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि जनता से कनेक्शन जोड़ो, जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाना चाहिए। राजनीति में काम करने वालों का यही असली काम होता है कि जनता के बीच जाएं, जनसुनवाई करें। पर वहां घटना दूसरी हो गई, अति उत्साह में एसडीओ को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में कानून का राज है, कानून का राज रहना चाहिए। इसलिए एसडीओ को बंद करने की एफआईआर दर्ज हो गई। मैंने तनाव के वक्त भी कहा था और अब भी खुले तौर पर कह रहा हूं कि कोई हिंसा करवाएगा, दंगे करवाएगा तो कानून अपना काम करेगा। गणेश घोघरा को इसलिए फील हुआ होगा कि एफआईआर दर्ज हो गई, कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हुई होगी।

उप सचेतक महेंद्र चौधरी के भाई पर मर्डर केस में गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने कहा मंत्री, विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर किसी परिजन को बचाएं तो आप आरोप लगाएं। कोई गलत काम करता है तो कानून अपना काम करेगा तो मैंने पुलिस को दो टूक कह रखा है कि अपराध के मामले में निष्पक्ष होकर काम करना है, राजनीतिक सिफारिश नहीं माननी है।

'गेहूँ के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य देशों के अनुरोध पर भी सरकार निर्यात की अनुमति देगी।"

कर्मचारियों की धमकी, विधायकों का रवैया नहीं सुधरा तो आंदोलन करेंगे

अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कांग्रेस विधायकों के रवैये से पनप रहा है कर्मचारी संगठनों में विरोध

जयपुर, 19 मई (का.प्र.)। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस बार राज्य कर्मचारियों को खुश करने के जहां हर जतन कर रही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाहियों के बाद कर्मचारियों में सरकार के प्रति लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के हितों में किए गए फैसलों के बावजूद कर्मचारी सरकार के प्रति खफ़ा नजर आते हैं।

बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा और उनके समर्थकों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से मारपीट की घटना के अलावा एसीबी की ओर से आर.ए.एस. अधिकारी को बुलाकर पूछताछ करने के मामले हो चुके हैं और अब आदिवासी विधायक गणेश घोघरा और उनके समर्थकों द्वारा एसडीएम को बंद करने का मामला चर्चा में हैं। इन सब मामलों को लेकर राजस्थान के कर्मचारियों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा पनपता दिख रहा है। कर्मचारी महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री से इन तमाम मामलों को लेकर ज्ञापन देने तथा विधायकों के रवैये की शिकायत करने की तैयारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे विधायकों की ज्यादती अब ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।

कर्मचारी संगठन से जुड़े एक कर्मचारी का कहना है कि राज्य के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में नए-नए एतिहासिक फैसले कर आयाम स्थापित कर रहे है। इन फैसले में पुरानी पैन्शन योजना लागू करना, आर.जी.एच.एस. योजना, विभिन्न भत्ते बढ़ाये जाना, 3 लाख कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेशो पर रोक लगाने समेत अनेकों कर्मचारी हित के कार्यों के बावजूद विधायकों की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को ऑफिस में बंद कर देने, उनसे मारपीट करने तथा उनको स्थानान्तरण की धमकिया देने सहित मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। कर्मचारी नेता इसकी कड़ी निन्दा करते है। इस मामले को लेकर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं नर्सेज नेता नरेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने व दोषी लोगों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देगें।

इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों व अधिकारियों को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया तो राज्य के समस्त कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाकर प्रभावी आन्दोलन किया जायेगा।

आज़म खान को जमानत

नई दिल्ली, 19 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत की अर्जी गुरुवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवयी और ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री को संबंधित अदालत के समक्ष दो सप्ताह के भीतर नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

- आज़म खान की जमानत भी ऐसे मौके पर हुई है, जब आगामी जुलाई में रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 19 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष पद से हटाने के टाटा समूह की कार्यवाही को सही ठहराने वाले अपने पिछले साल के एक फैसले पर पुनर्विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रह्मण्यन की पीठ ने साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी।

याचिका शापूरजी पल्लोनजी समूह दायर की गई थी, जिसमें शीर्ष अदालत से 26 मार्च 2021 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए. टी.) के 18 दिसंबर 2019 के उस फैसले को पलट दिया था, जिसने टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को बहाल करने का आदेश दिया था।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने मिस्त्री पर की गई कुछ खास टिप्पणियों को हटाने की उनकी गुहार संबंधी एक आवेदन को स्वीकार कर लिया। साइरस मिस्त्री ने उनका टिप्पणियों का विरोध किया था। वर्ष 2016 से चल रहे इस विवाद में टाटा समूह को एक बार फिर शीर्ष अदालत के फैसले ने राहत दी है। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को वर्ष 2016 में टाटा संस का अध्यक्ष नियुक्त किया था लेकिन कुछ ही समय बाद रतन टाटा एवं साइरस मिस्त्री के बीच रिश्तों में कुछ खटास आ गई और उन्होंने साइरस मिस्त्री को पद से हटाने का निर्णय लिया।

- वर्ष 2016 से चल रहे इस विवाद में टाटा समूह को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राहत दी है।

1948 में आज़ादी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्सपर्ट्स ने इन खबरों पर यह कहते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि चूक जीवन का अन्त नहीं है, बल्कि यह सुधारों और पुनर्निमाण के एक नए चरण की शुरुआत है।

यह बात भारत जैसे देश के मामले में अधिक सच जान पड़ती है। जैसा कि हमने देखा है वर्ष 1991-92 में विदेशी भुगतानों में चूक के खतरे ने भारतीय आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जो कि देश की आर्थिक संरचना के लिए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और व्यापक बदलाव थे और इन्होंने आर्थिक वृद्धि तथा विकास का सूत्रपात किया।

बाजार में आयी वर्तमान निराशा का कारण यह धारणा है कि अब मंदी आने वाली है। परिणामस्वरुप बड़े केन्द्रों से वित्तीय बाजार खिसक रहे हैं। शेयर्स की कीमतें धराशायी हो रही हैं और बॉण्ड्स से मुनाफा बढ़ रहा है।

वित्तीय बाजारों की अनिश्चिता और विपरीत रुख के समय में निवेशक प्राय: जोखिमपूर्ण परिसम्पत्तियों से किनारा कर अमेरिकी डॉलर वाली सेफ हैवन परिसम्पत्तियों की शरण में जाते हैं। इससे उभरते बाजारों में तुरंत प्रभाव से कुछ धनवापसी हो सकती है।

भारतीय स्टॉक मार्केट ने ग्लोबल ट्रैण्ड्स के कारण हाल ही के सप्ताहों में जबर्दस्त झटका खाया है। स्टॉक मार्केट के ट्रैण्ड्स जब कमजोर पड़ जाते हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक अपने निवेश मूल्य: को बनाए रखने के लिए वहां से निकल लेते हैं। निवेशक इसके कारण निवेशक अपने शेयर्स के मूल्य को रुपए में कन्वर्ट कर बाजार छोड़ देते हैं जिससे रुपए की विनिमय दर तुरंत प्रभाव से गिर जाती है।

यह वास्तव में वैसा ही है जैसा कि वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत बाद हुआ था। वैश्विक बाजारों के परिति अविश्वासी रुख के कारण वित्तीय बाजार गिर गए थे। भारत के मामले में वैश्विक वित्तीय गिरावट स्टॉक और विदेशी विनिमय बाजारों के जरिए भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गई थी। भारतीय रुपए में आई गिरावट और गंभीर होती, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.) ने बाजार में हस्तक्षेप कर रुपए को सराहा दिया। आर.बी.आई. ने रुपए का मूल्य स्थिर करने के लिए अपने मुद्रा भण्डार की तिजोरी खोल दी है।

सिद्धू को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि उन्हें निन्दनीय मानव-वध का अपराधी माना जाये, हालांकि यह इंडियन पैनल कोड़ (आई.पी.सी.) की धारा 304ए के तहत, हत्या के समकक्ष न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर अपने निर्णय को 25 मार्च को सुरक्षित रख लिया था, जो याचिका इसी अदालत के उस आदेश पर पुनर्विचार हेतु लगाई गई थी, जिस आदेश में सिद्धू को इसी केस में 1000 रू. का जुर्माना करके छोड़ दिया गया था। अदालत ने सिद्धू की सजा में वृद्धि की माँग करने वाली इस पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर लिया। वादी के वकील सुधीर वालिया ने इस फैसले का स्वागत किया है। सिद्धू को आदेश दिया गया है कि इस सजा के सिलसिले में पटियाला कोर्ट के समक्ष आत्म समर्पण कर दें। इससे पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 1000 रू. जुर्माना करने के बाद मुक्त कर दिया था। उन्हें दी गई इस सजा का कारण 1988 में हुए तेज गति से गाड़ी चलान के कारण हुए हादसे में किसी गुरनाम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना रहा।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दी। किन्तु प्रबंध समिति के एक अधिकारी ने कहा है, "धर्मनिष्ठ लोग वज़ू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह नलों का पानी उपलब्ध है, वह जगह सील कर दी गई है। हमने नमाज़ियों से निवेदन किया है कि वे मस्जिद आने से पहले अपने घर पर ही वज़ू कर लें। वाराणसी की अंजुमन इन्तज़ामिया मस्जिद की प्रबंध समिति की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने बैंच से कहा कि उनकी "आशंका केवल यह है कि वज़ू खाना के पास वाली एक दीवार को गिराने के लिये कोई अर्ज़ी लगा दी गई है" तथा आगे की कार्यवाही चल रही हैं। बैंच ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने स्थगन का निवेदन किया था, ने कहा कि दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्त डर/आशंका को मद्देनज़र रखते हुये, वे गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिये दबाव न डालें। वकील इस सुझाव से सहमत हो गये तथा अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर ले लिया तथा ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिये कि वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश की कठोरता से अनुपालना करे तथा इस मुकदमें की आगे कोई भी कार्यवाही करने से स्वयं को दूर रखे।

जी.एस.टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थन करते हुये, न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि जी.एस.टी. काउंसिल की अनुशंसाएं केवल "विश्वासोत्पादक (पर्सुएसिव) हैं, बाध्यकारी नहीं।" बैंच ने कहा कि जी.एस.टी. काउंसिल की भूमिका यहीं तक सीमित है कि वह केन्द्र तथा राज्य सरकार को उचित रूप से सलाह दे। बैंच के अन्य दो जज थे- न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं विक्रम नाथ। फैसले में कहा गया है, "सरकार, सी.जी.एस.टी. एक्ट तथा आई.जी.एस. टी. एक्ट के प्रावधानों के तहत, कानून बनाने के अधिकारों को काम में लेते समय, जी.एस.टी. काउंसिल की सिफारिशों से बाध्य है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अनुच्छेद 279ए (4) के आधार पर की गई जी.एस.टी. काउंसिल की सभी सिफारिशें प्राथमिक कानून बनाने के मामले में विधायिका की शक्ति का बाध्य करने वाली हैं।"

'घर-घर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" की अनुमति न दिये जाने पर अड़ गये थे। इस फैसले से, इस योजना को लेकर, केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। ज्ञातव्य है कि पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद केजरीवाल ने इस योजना को पंजाब में भी आगे बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय, जिसने 10 जनवरी को अपने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था, ने दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ की याचिका को अनुमति प्रदान कर दी। इस संघ ने गत वर्ष उन निविदाओं को चुनौती दी थी, जो इस योजना की क्रियान्विति के लिये जारी की गई थीं। केन्द्र सरकार ने गत वर्ष इस याचिका का समर्थन कर दिया था तथा दलील दी थी कि उचित मूल्य की दुकानों को समाप्त नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि ये दुकानें नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एन.एफ.एस.ए.) की क्रियान्विति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

fssai
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
प्रेरक विश्वास निश्चित सुरक्षा व पौष्टिक आहार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

कृपया ध्यान दें!!!

खाद्य व्यवसायियों
निर्माताओं (रि पैकर्स व रिलेबलर्स)
एवं आयातकों अपना वार्षिक रिटर्न
वित्त वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत करें
31 मई, 2022 तक
(नहीं प्रस्तुत करने पर 100 रू. प्रतिदिन अर्थदण्ड लगेगा।)

- वार्षिक रिटर्न केवल ऑनलाईन (फूड सेफ्टी कम्पलीयांश सिस्टम) (एफओएससीओएस) के द्वारा प्रस्तुत किये गये) पर विचार किया जायेगा।
- किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये वार्षिक रिटर्न पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उसे नहीं प्रस्तुत किया गया माना जावेगा।
- दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विनिर्माताओं/संसाधकों को केवल वार्षिक रिटर्न जमा करना आवश्यक है, अर्धवार्षिक रिटर्न बंद कर दिया गया है।

आज ही ई-फाईल वार्षिक रिटर्न एफओएससीओएस पोर्टल www.foscos.fssai.gov.in पर करें।

अपना वार्षिक रिटर्न ई-फाईल करने हेतु यहां स्कैन करें

कार्यकारी निदेशक (सीएस)
एफएसएसएआई

DAVP 17163/12/0002/2223

एक बार फिर ताइवान का मुद्दा छेड़ कर चीन को नाराज किया अमेरिका ने

अमेरिका ने कहा कि, ताइवान को डब्ल्यु.एच.ओ. की सदस्यता दी जाये

वॉशिंगटन, 19 मई (वार्ता/स्पूतनिक)। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) को सलाह दी है कि वह आगामी विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यू.एच.ए.) में ताइवान को एक पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित करने के मुद्दे पर विचार करें और ताइवान को इसमें शामिल होने वाले अन्य प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता जाहिर करने का एक मौका दें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह जानकारी दी है।

ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, हम विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए ताइवान को आमंत्रित करने और मई में आयोजित होने वाले 75वें डब्ल्यू.एच.ए. में समाधान संबंधित चर्चाओं में ताइवान को अपनी विशेषज्ञता जाहिर करने का मौका दे।

विदेश मंत्री ने कि ताइवान वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय का एक सक्षम और जिम्मेदार सदस्य है और इसकी क्षमताएं और इसकी क्षमताएं एवं दृष्टिकोण डब्ल्यू.एच.ए. चर्चाओं की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ताइवान को इससे बाहर रखने का कोई तुक नहीं बनता, बल्कि इसे शामिल करने से ही दुनिया की भलाई है। ब्लिंकन के मुताबिक वैश्विक महामारी के समय में पूरी दुनिया एकजुट रहा है, ऐसे में ताइवान को अलग-थलग रखना कदापि उचित नहीं है।

चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका चीन के आंतरिक मामलों में दखल देता है, तो चीन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा।

चीन के विदेश मामलों के लिए केंद्रीय आयोग के कार्यालय के निदेशक यांग जिएची ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से दूरभाष पर हुई वार्ता के दौरान यह बातें कही।

चीन के विदेश मंत्रालय ने वांग के हवाले से कहा, चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा और जो हमने कहा है उसे करके दिखायेंगे।

वांग के अनुसार अमेरिका ने एक के बाद एक लगातार चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले गलत कार्यों और बयानों की कतार लगा दी है।

भाजपा में शामिल हुये सुनील जाखड़

नई दिल्ली,19 मई (वार्ता)। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया।

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने जाखड़ को अंगवस्त्रम पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय सोच और विचारधारा के लोगों का भाजपा में स्वागत है। जाखड़ ने कांग्रेस नेतृत्व की शैली पर गहरे सवाल उठाते हुए पिछले दिनों पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था।

जाखड़ ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने खुले दिल और आत्मीयता से उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह निजी स्वार्थ की राजनीति नहीं करते लेकिन जिस तरह उनकी पिछली पार्टी कांग्रेस ने पंजाब को वहां की आबादी में, जात-पात और धर्म के प्रतिशत (अनुपात) के नाम पर बांटने की कोशिश की, वह उनके लिये पीड़ादायक था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की राजनीति का विरोध किया और इसलिये उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। पंजाब ने देश की सेवा में अपना नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने उसूलों से हट चुकी है।

- जाखड़ ने इस मौके पर कहा कि, भाजपा हाईकमान ने खुले दिल और आत्मीयता से मुझे पार्टी में आमंत्रित किया है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908